झारखण्ड विधान सभा

ध्यानाकर्षण सूचना

पंचम् झारखण्ड विधान-सभा

द्वितीय (बजट) सत्र

निम्नलिखित ध्यानाकर्षण- सूचनायें झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन के नियम- 147 के अन्तर्गत दिनांक- 03.03.2020 के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा स्वीकृत की गयी हैं :-

क्र०सं०	सदस्य का नाम	विषय	विभाग
01.	02.	03.	04.
01-	श्री बिरंची नारायण स०वि०स०	राज्य बने लगभग 20 वर्ष हो गए, लेकिन बोकारो स्टील प्लांट, DVC, BCCL, TVNL और CCL सहित राज्यभर की विभिन्न सिंचाई परियोजनाओं में विस्थापित हुए लाखों परिवार के लोगों को नौकरी, पुनर्वास एवं मुआवजा नहीं मिल सका है और विभिन्न कारणों से आज भी इनके अनेकों मामले लंबित पड़े है, इस कारण विस्थापित हुए परिवार न्याय की आस में दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं। अतएव मैं इस दिशा में सदन का ध्यान आकृष्ट करते हुए माँग करता हूँ कि बोकारो सहित राज्यभर के विस्थापितों को न्याय देने हेतु सरकार विस्थापन आयोग का गठन करे, ताकि वर्षों से लंबित पड़े उनके मामलों का निपटारा हो सके।	राजस्व एवं भूमि सुधार
02-	श्री राजेन्द्र प्रसाद सिंह स०वि०स०	(1)- बोकारो थर्मल फेज- 2(30-बेड) सी०एच०सी० अस्पताल, गाँधीनगर अस्पताल, राँची धौड़ा, जरीडीह बाजार, अमलो बिरसा नगर, पी०एच०सी० अस्पताल तथा ए०एन०एम० स्कूल बेरी स्टाफ क्वार्टर मैदान के पास (छात्रावास सहित)	स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण

01.	02.	03.	04.
		(2)- जरीडीह प्रखण्ड- गांगजोरी (30-बेड) अस्पताल, बीरसाइम, तांतरी अस्पाताल, जैनामोड़ के पास ए०एन०एम० स्कूल (छात्रावास सहित) (3)- पेटरवार प्रखण्ड-1 पिछरी (30 बेड) अस्पताल, चलकारी अंगवाली, चाँदो अस्पताल। (4)- चन्द्रपुरा प्रखण्ड के सिजुआ तथा एलारगो के पास (डुंगरी नवाडीह) भवन बनकर 05 वर्षो से तैयार है, लेकिन चिकित्सक एवं चिकित्सा कर्मियों के पदस्थापन तथा उद्घाटन के अभाव में बंद पड़ा है। इससे बोकारो के आस-पास के लोगों को चिकित्सा सुविधा से वंचित होना पड़ रहा है तथा उन्हें इस हेतु बाहर जाना पड़ता है, जिससे जान-माल की हानि की आशंका बनी रहती है। अतः मैं सरकार को ध्यान आकृष्ट कराते हुए मांग करता हूँ कि सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ उक्त अस्पताल चिकित्सालय भवनों का उद्घाटन एवं चिकित्सक एवं चिकित्सा कर्मियों का पदस्थापन कराते हुए अस्पताल खोला जाय।	
03	श्री विनोद कुमार सिंह स०वि०स०	जी०टी० रोड चौड़ीकरण के तहत बगोदर में किसानों की भूमि अधिगृहीत की जा रही है। बगोदर प्रखंड में 80% रैयतों को, जिनका मकान बना है, आवासीय दर पर भुगतान किया गया है। लेकिन, अटका लक्षीबागी के मकान मालिकों को आवासीय दर पर भूमि सम्बन्धी भुगतान नहीं हो रहा है। साथ ही मकान का भुगतान भी पूर्ण रूप से न कर आंशिक का प्रस्ताव बनाया जा रहा है। किसानों मकान मालिकों के साथ हो रहे ज्यादती के खिलाफ मैं सदन का ध्यान आकृष्ट करता हूँ।	राजस्व एवं भूमि सुधार

01.	02.	03.	04.
04-	श्री मथुरा प्रसाद महतो स0वि0स0	धनबाद जिला अन्तर्गत तोपचांची प्रखण्ड के नरकोपी गाँव जाने का रास्ता जर्जर होने के कारण आवागमन में ग्रामीणों को भारी कठिनाईयाँ होती है साथ ही वर्षा के मौसम में इधर के गाँव लगभग टापू में तब्दील हो जाते है। इस कारण ग्रामीणों को बरसात के मौसम के अतिरिक्त अन्य समय में भी अत्यधिक कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है। अतः उक्त लोकहित के विषय पर नरकोपी में दो पुलिया के निर्माण हेतु सदन द्वारा सरकार का ध्यानाकृष्ट करता हूँ।	ग्रामीण विकास
05	श्री अमित कुमार यादव श्री प्रदीप यादव एवं श्री उमा शंकर अकेला स0वि0स0	पकरी बरवाडी कोयला खनन परियोजना (हजारीबाग) हेतु अधिग्रहीत जमीन का पुराने अधिनियम के तहत मुआवजा का भुगतान हो रहा है। इससे हजारीबाग जिला के बड़कागाँव एवं केरेडारी अंचल के 19 गाँवों के 10 हजार रैयत प्रभावित हो रहे हैं और रैयतों की माँग है कि भूमि अर्जन पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार (कठिनाईयों को दूर करना) आदेश- 2015 के अनुरूप भुगतान किया जाय ताकि उचित मुआवजा मिल सके। इस प्रकार के मामले राज्य के दूसरे जिलों में भी है जहाँ रैयत उचित मुआवजे के लिए जुझ रहे है। उपर्युक्त तथ्यों के अनुरूप सरकार रैयतों के हित में त्वरित निर्णय ले इस ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते है।	राजस्व एवं भूमि सुधार

राँची,
दिनांक- 03 मार्च, 2020 ई0।

महेन्द्र प्रसाद
सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

कृ0पृ030/-

ज्ञाप सं0-ध्या0 एवं अना0प्र0-01/2020-.....673...../वि0 स0, राँची, दिनांक-02/03/2020

प्रतिः- झारखण्ड विधान सभा के मा0सदस्यगण/ मा0मुख्यमंत्री/ एवं अन्य मंत्रिगण/ मुख्य सचिव, झारखण्ड सरकार, राँची/ माननीया राज्यपाल के प्रधान सचिव/ लोकायुक्त के आप्त सचिव/ महाधिवक्ता, उच्च न्यायालय राँची/राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग/स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग एवं ग्रामीण विकास विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2/3/2020

(एस शिराज वजीह बंटी)
उप सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

ज्ञाप सं0-ध्या0 एवं अना0प्र0-01/2020-....673../वि0 स0, राँची, दिनांक-02/03/2020

प्रतिः- आप्त सचिव, अध्यक्षीय कार्यालय एवं आप्त सचिव, सचिवीय कार्यालय को क्रमशः मा0 अध्यक्ष महोदय एवं सचिव महोदय के सूचनार्थ प्रेषित।

2/3/2020

उप सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

सुभाष/-